

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम- तराईमाल, ब्लॉक- तमनार जिला- रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वनभूमि में पाईप लाईन बिछाने का कार्य के लिए वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़



96

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

क्रमांक/ 1220 /स.अ.भू.अ./2020
प्रति.

रायगढ़ दिनांक 19/10/2020

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर(छ.ग.)

विषय:-

मेसर्स सिंधल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के संबंध में अधिनियम 2005 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

मेसर्स सिंधल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड रायगढ़ छ.ग. के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 27.09.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. मेसर्स सिंधल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से प्लांट को पानी सप्लाई हेतु लगभग 2 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन भूमि में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र 815) प्रस्तावित है के लिये आवश्यक वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के अनुसार निम्नांकित भूमि को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण दिये जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कक्ष क्रमांक/खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा
1	उजलपुर	तमनार	निरंक	815 नारंगी क्षेत्र	0.039
योग					0.039

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधिन वनभूमि को मेसर्स सिंधल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड तराईमाल ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ को उपयोग में लाये जाने के लिये वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

पृ. क्रमांक/ 1220 A/स.अ.भू.अ./2020
प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ को सूचनाार्थ।

रायगढ़ दिनांक 19/10/2020

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)